

पत्रांक 13/न4-31/2000/सतु 122/1
रोकेन्ड्री, प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा विभाग, विहार

प्रेषक

श्री मोहीउद्दीन सालिक
विशेष निदेशक माध्यमिक शिक्षा ।

सेवा में,

सचिव,
सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ रोकेन्ड्री एजुकेशन,
शिक्षा केन्द्र-2, कम्युनिटी सेन्टर, प्रीत विहार,
विकास मार्ग, नई दिल्ली-110092

पटना, दिनांक 18 फरवरी 2003

विषय:- रोकेन्ड्री देलही पब्लिक स्कूल, गया को सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ रोकेन्ड्री एजुकेशन,
नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के
संबंध में ।

गटाराम,

उपर्युक्त विभाग को और आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि
दिनांक 24-12-02 को निर्गमित विद्यालयों की अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किए
जाने के संबंध में उच्चस्तरीय समिति को बैठक में सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के
आलोक में रोकेन्ड्री देलही पब्लिक स्कूल, गया को सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ रोकेन्ड्री एजुकेशन,
नई दिल्ली द्वारा मान्यता/सम्बद्धता इस बात के साथ देने में कोई आपत्ति नहीं
है कि विद्यालय के प्रबंधन द्वारा नियुक्त शिक्षक/कर्मियों को राज्य सरकार के
शिक्षक/शिक्षक्रेत्तर कर्मियों के लिए अनुमान्य वेतनमान एवं भत्ता के अनुसार वेतनमान
एवं भत्ता का भुगतान उनके द्वारा सुनिश्चित किया जाय ।

2- इसकी सूचना संबंधित विद्यालय के प्राचार्य को दी जा रही है ।

4ए आदेशा तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा ।

विश्वरामभाजन,

मोहीउद्दीन सालिक

विशेष निदेशक माध्यमिक शिक्षा ।

पटना, दिनांक 18 फरवरी 2003

प्रतिलिपि संबंधित जिला पंदाधिकारी/संबंधित क्षेत्रीय उप शिक्षा
निदेशक/संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं संबंधित विद्यालय के प्राचार्य को
सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित ।

2- शैक्षणिक गुणावत्ता को सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा प्रतियोग
कम-से-कम एक बार विद्यालय का निरीक्षण किया जाएगा ।

3- निम्नलिखित परिस्थितियों में विद्यालय को निर्गमित अनापत्ति प्रमाण-पत्र
निरस्त/वापस लेने की कार्रवाई प्रारम्भ की जा सकती है:-

क) अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिए समर्पित कागजात एवं अभिलेख जाली
पाये जाने अथवा वास्तविक स्थिति से भिन्न होने पर ।

U. Chandra
16.06.2021

PRINCIPAL
SECONDARY DELHI PUBLIC SCHOOL
GAYA